प्रेषक,

अबुल कैश,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–11,
हरदोई।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद,
लखनऊ।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
हरदोई।

विषय– अचल संपत्ति क्रय करने के संबंध में –

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थनापत्र दिनांकित 07.11.2020 पर माननीय न्यायालय के आदेश दिनांकित 10.11.2020 के द्वारा क्रय एवं विक्रय की गयी संपत्ति के विक्रय पत्र की प्रतियां मांगी गयी हैं। इस संबंध में सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी को सैय्यद मकसूद अली पुत्र सैय्यद निसार अली निवासी पी 558 गौस नगर करेली प्रयागराज से 30X49 वर्ग फिट भूमि मुव0 20,00,000/– रूपये में क्रय करने तथा प्रार्थी की भूमि 30X55 वर्ग फिट मुव0 30,60,000/– रूपये में श्री ऋषी कुमार जायसवाल पुत्र अशोक कुमार जायसवाल निवासी 51बी चक हिंगुई करारी मंझनपुर, कौशांबी को विक्रय करने की अनुमति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गयी थी। क्रय की जाने वाली भूमि के संबंध में विवाद की जानकारी होने पर विक्रेता द्वारा विवाद सुलझाने का आश्वासन दिया गया था, परन्तु अभी तक विवाद सुलझ नहीं सका है, इसलिए अब मैं उक्त भूमि को क्रय नहीं करना चाहता। मैं अन्य भूमि/मकान तलाश रहा हूं। भविष्य में उचित भूमि/मकान मिलने पर विक्रय से प्राप्त उपरोक्त धनराशि को समाहित करते हुए माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति से क्रय करूंगा। विक्रय की गयी संपत्ति के विक्रय पत्र की प्रति पूर्व में दिनांक 07.11.2020 को प्रेषित की जा चुकी है।

माननीय महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

सादर,

भवदीय,

(अबुल कैश)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–11,
हरदोई

दि0–10.03.2022